भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4050

जिसका उत्तर सोमवार, 18 अगस्त, 2025/27 श्रावण, 1947 (शक) को दिया गया

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय

4050. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की पहले से चिह्नित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के अलावा अन्य बैंकों के निजीकरण की कोई योजना है;

(ख) यदि हाँ, तो निजीकरण के लिए विचाराधीन बैंकों के नाम क्या हैं और इसके लिए क्या समय-सीमा है;

(ग) सरकार उक्त बैंकों के विनिवेश या रणनीतिक बिक्री से अनुमानित कितना राजस्व प्राप्त करना चाहती है;

(घ) क्या सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय या समेकन के लिए किसी नए प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हाँ, तो ऐसे बैंकों के नाम क्या हैं और इस पुनर्गठन के माध्यम से सरकार कौन से उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहती है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ङ): वित्तीय वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों के निजीकरण की सरकारी मंशा और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) के रणनीतिक विनिवेश की नीति की मंजूरी की घोषणा की गई थी। इस नीति की मुख्य बातों के अनुसार, नीति के उद्देश्यों में निजी पूंजी निवेश द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की वृद्धि को समर्थ बनाना शामिल है, जिससे आर्थिक विकास और नए रोजगारों में योगदान हो, और सरकार के सामाजिक क्षेत्र और विकास कार्यक्रमों का वित्तपोषण करना शामिल है।

विनिवेश, रणनीतिक बिक्री या समामेलन से संबंधित मुद्दों पर विचार और बैंकों के चयन पर निर्णय, बिक्री से संभावित राजस्व, बिक्री प्रस्ताव के नियम और शर्तों आदि को भारत सरकार (कारोबार का लेनदेन) नियम, 1961 के अंतर्गत इस उद्देश्य के लिए नामित कैबिनेट समिति को सौंपा गया है।

*****